संसद के समक्ष अभिभाषण — 23 फरवरी 2000

लोक सभा	-	तेरहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2000 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं सदस्यों को बधाई देता हूं और इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट तथा विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

पिछले महीने ही भारत ने गणराज्य के रूप में पचास वर्ष पूरे किए। इस प्राचीन सभ्यता के इतिहास में यह एक गौरवमय क्षण था। यह सभ्यता आधुनिक युग में एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरी है। हमारे गणराज्य की स्वर्ण जयंती उत्सव व चिंतन दोनों का ही अवसर इसलिए है क्योंकि पिछले 50 वर्ष में हम सबको सफलताओं की खुशियों के साथ-साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उपलब्धियों के साथ-साथ कमियों का भी अनुभव हुआ है।

अगर विश्वभर में लोकतंत्र का प्रसार बीसवीं शताब्दी का प्रमाण चिह्न रहा है तो भारत ने न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में बल्कि सभी विषमताओं को झेलते हुए उत्साहपूर्वक इसे संभालकर रखने के लिए भी समुचित सम्मान प्राप्त किया है। सम्पूर्ण विश्व की निगाहें भारत की तरफ आशा और प्रत्याशा के साथ उठी हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक महान लोकतांत्रिक संविधान देकर अपने कर्तव्य का पालन किया था। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लोकतंत्र को प्रत्येक भारतीय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक

कारगर साधन के रूप में परिवर्तित करें। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपिता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें प्रेरित किया, उसी प्रकार हमें यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ सबसे पहले गरीब और कमजोर को मिलें।

भारत ने जिस संविधान को पचास वर्ष पूर्व अंगीकार किया था, उससे लगभग हमारे सभी प्रयोजन पूरे हुए हैं। यह संसदीय लोकतंत्र, पंथ-निरपेक्षता और मूलभूत अधिकारों का एक विश्वसनीय संरक्षक रहा है, जिनकी अभिलाषा हम सभी अपने हृदय में संजोए हुए हैं। इसने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को अधिकार देकर तथा हमारी शासन पद्धति को अधिक भागीदारीपूर्वक और प्रगतिशील बनाकर हमारे समाज में लोकतांत्रिक जागरूकता के प्रसार को भी प्रेरित किया है। फिर भी, संविधान के मूल ढांचे और उसकी प्रमुख विशेषताओं को अक्षुण्ण रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पिछले पचास वर्षों के अनुभव की जांच की जाए जिससे कि संविधान में प्रतिष्ठापित इन आदर्शों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके। इसलिए, सरकार ने व्यापक आधार वाले संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जाएंगी जो भारतीय लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

नि:संदेह, भारत ने पिछले पांच दशकों में अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। मानव इतिहास में ऐसा कोई अन्य दृष्टांत नहीं रहा है जहां भिन्न-भिन्न परम्पराओं वाली सौ करोड़ की जनता, मिल-जुल कर रह रही हो व बेहतर जीवन के लिए संघर्षरत हो और उन्हें उनके अधिकारों एवं आजादी की छूट हो। बहरहाल, हम केवल इसी से संतुष्ट नहीं रहे। हाल ही में आजाद हुए और अनेक विकासशील देशों के अनुभव से पता चलता है कि सभी के लिए चहुंमुखी प्रगति करने के लिए पचास वर्ष एक लम्बा समय है। आज हमारे गणराज्य की आधी शताब्दी बीतने के बाद समय की मांग यही है कि हम अपनी जनता की गरीबी का उन्मूलन करने, निरक्षरता हटाने और अपने सभी साथी नागरिकों के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए और अधिक समय न गंवाएं। इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करते समय हमें चाहिए कि हम इसके साथ ही सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करें, महिला-पुरुष के बीच समान न्याय को प्रोत्साहित करें, क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करें और गांव एवं शहर में अंतर कम करें।

यदि हमारा एक बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या के अधिकांश वर्ग वंचित एवं गरीब रहते हैं, तो भारत वह सुदृढ़ता और खुशहाली प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी हम सभी इच्छा करते हैं और जिसके लिए हमारा देश सक्षम है। विकास में सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए तीव्र आर्थिक वृद्धि एक पूर्वापेक्षा है। आर्थिक वृद्धि को तेज करने के स्पष्ट इरादे के साथ, पिछले दशक के आरम्भ में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। पिछले दशकों में हमारी

विकास प्रक्रिया में जो कमियां आई हैं उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। यह गर्व और संतोष का विषय है कि हमारे देश ने इन सुधारों को सामाजिक अशांति के बिना और प्रायः पूर्ण राजनीतिक सहमति से कार्यान्वित किया है। इन सुधारों से अब विभिन्न क्षेत्रों में वांछित परिणाम मिल रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की सतत वृद्धि दर बढ़ी है। हमारे उद्योग और वित्तीय प्रणाली अधिक मजबूत हुए हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

सरकार आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने और उनके क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए वचनबद्ध है। साथ ही, हम आर्थिक सुधारों के लाभों को उन क्षेत्रों और समुदायों के पास पहुंचाने के लिए सुविचारित व संगठित प्रयास करेंगे जिनको अभी तक उनका लाभ नहीं मिला है। हो सकता है कि, विगत दस वर्षों में भारत के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में बदलाव हुआ हो परन्तु समानता और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों में नहीं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे कि आर्थिक सुधारों में गरीब और वंचित लोगों की भागीदारी, उनकी वर्तमान भागीदारी की अपेक्षा और अधिक हो। हम अनुभव करते हैं कि विकास प्रक्रिया में लोगों की उत्साहवर्धक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।

'गौरवमय, खुशहाल भारत का एजेन्डा' में समानता व रोजगार सहित तीव्र विकास के लिए ढांचे की व्यवस्था की गयी है। यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है। नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने के कार्य में तेजी लाने तथा लंबित विधान को पारित करने का सरकार का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि वह इस एजेन्डा में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार आर्थिक सुधारों की संगत योजना पर सशक्त कार्रवाई जारी रखेगी। इन सुधारों में कृषि, उद्योग, लोक उद्यम, राजकोषीय समेकन और अन्तरण, कर-सुधार, वित्तीय सेक्टर में सुधार और विदेशी निवेश संबंधी नीतियां शामिल होंगी। मुख्य रूप से इनमें विद्युत, सड़कें, रेल, बन्दरगाह, नागर विमानन, दूरसंचार और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों के कार्य के निष्पादन में सुधार संबंधी नीतियां भी शामिल होंगी।

हमारा देश मुख्य रूप से गांवों का देश है और हमारी अधिकांश जनता जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए, कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, विशेषकर वर्षापोषित और सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में जहां अत्यधिक गरीबी है। इसके लिए कृषि में पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने तथा अपेक्षाकृत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता होगी। चूंकि हमारी कुल जनशक्ति का दो तिहाई भाग अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और अधिक खुशहाली लाने के लिए कृषि-व्यापार सहित, कृषि में अधिक निवेश की व्यवस्था की जाएगी। सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय कृषि नीति को अंतिम रूप देगी जिसमें इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

इस समय, भूमि संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंध से संबंधित कार्यक्रम केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में चलाए जा रहे हैं। यह अत्यावश्यक है कि एक एकीकृत कार्यप्रणाली तैयार की जाए, जो हमारे दुर्लभ भूमि-संसाधनों के प्रबंध की चुनौतियों का कारगर ढंग से सामना करने में सक्षम हों— विशेषकर वे जो सार्वभौमिकरण, उदारीकरण और निजीकरण से उत्पन्न होती हैं। इसलिए, सरकार उन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित संस्थागत आधारभूत संरचना को ग्रामीण विकास मंत्रालय में नव-निर्मित भूमि संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन लाएगी।

विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी आधारभूत संरचना परिसम्पत्तियां और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनकारी मजदूरी रोजगार पैदा करने के विशिष्ट कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और पुनर्गठित सुनिश्चित रोज़गार योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा और उसे ध्यानपूर्वक मॉनीटर किया जाएगा।

शहरीकरण की प्रक्रिया से शहरों एवं कस्बों में रहने वाले भारतीय लोगों के अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है। हमारे शहरों में जनसंख्या जिस अनुपात से बढ़ी है, दुर्भाग्य से, शहरी आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं में हुई वृद्धि उसके अनुरूप नहीं हो पाई। सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि एक नए और पुनरुत्थान के पथ पर अग्रसर भारत के लिए शहरी नवीकरण निर्णायक महत्व रखता है। इसके लिए शहरी रोजगार, आवास निर्माण, परिवहन और अन्य जनोपयोगी सेवाओं संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और नगर प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। सरकार भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास में संवर्धित सार्वजनिक व निजी निवेश को सुकर बनाएगी जिसमें शहरी गरीब वर्ग के रहन-सहन की स्थितियों को सुधारने पर बल दिया जाएगा। वह अच्छे नगरीय शासन को बढ़ावा देने के लिए भी ज्यादा प्रयास करेगा।

हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चों और युवाओं पर है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सभी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार शीघ्र ही बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी जिससे कि उनके चहुंमुखी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और उनकी वर्तमान एवं भावी अर्थात् दोनों प्रकार की रचनात्मक शक्तियों को उजागर किया जा सके। खेल एवं युवा कार्य संबंधी सभी मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और हमारे संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें पुनः क्रियाशील किया जाएगा जिससे कि हमारे युवा वर्ग के शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान को आरंभ करने के लिए एक निर्णय लिया गया है जिसका प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि सन् 2003 तक 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग का हर बच्चा स्कूल या किसी शिक्षा गारंटी केन्द्र अथवा 'बैक-टू-स्कूल कैम्प' में जाए। हम उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे। सरकार एक नीति लाना चाहती है जिसका उद्देश्य, सभी को शिक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय प्रयास में गैर-सरकारी प्रयासों को पूरी तरह समाविष्ट करना होगा।

भारत की आधी जनसंख्या महिलाओं की है परन्तु हमारे समाज में उनकी स्थिति कमजोर है। उन्हें सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने में प्रायः शामिल नहीं किया जाता है। कोई भी देश उस समय तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा न हो, वे साक्षर न हों और सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में पुरुषों के साथ बराबर की हिस्सेदार न हों। हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि पुरुषों व महिलाओं में समानता हो और उनके बीच कोई भेदभाव न हो और हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध हैं। संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999 पिछले सत्र के दौरान लोक सभा में पेश किया गया था जिसमें लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। महिला और बाल विकास विभाग शीघ्र ही महिला अधिकारिता संबंधी एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देगा जिसका उद्देश्य सरकार की विधियों, नीतियों, कार्यक्रमों और बजटीय आबंटनों के मामलों में उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। इंदिरा महिला योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा तथा उसका विस्तार और 450 प्रखण्डों में किया जाएगा।

विश्व में वृद्ध व्यक्तियों की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में भारत भी है। हाल के समय में संयुक्त परिवार प्रथा खत्म होती जा रही है जिससे वृद्ध लोगों की भावनात्मक उपेक्षा हुई है व उनकी देखभाल में कमी आई है। सरकार ने वृद्ध लोगों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई है तथा हमारे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उन समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय वृद्ध जन परिषद् की स्थापना की गई है। एक विशेषज्ञ समिति ने वृद्ध लोगों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना के बारे में एक रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है। सरकार इसकी जांच कर रही है जिसके बारे में निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

जब मैंने, पिछली बार, 25 अक्तूबर, 1999 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था, उस समय मुझे सरकार के मध्यावधिक आर्थिक एजेन्डा को आपके समक्ष रखने का अवसर मिला था। तब से, अर्थव्यवस्था में स्पष्ट सुधार का

संकेत आर्थिक आंकड़ों में मिलता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत होने की आशा है। वर्तमान वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान मुद्रा स्फीति भी काफी नियंत्रण में रही है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी संतोषजनक है जो इस समय 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र में हुए पुनरुत्थान के कारण स्टॉक सूचकांक में सामान्यत: बढ़त का रुझान रहा है। स्पष्ट आर्थिक क्षमताओं के आधार पर आगे निर्माण करने के लिए हमें इस सुधार प्रक्रिया को और व्यापक व त्वरित करने के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने मध्यावधिक आर्थिक एजेंडा को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। इसकी रूपरेखा मैंने संसद के अपने पिछले संबोधन में प्रस्तुत की थी। मैं उनमें से कुछ मुद्दों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना चाहूंगा:—

क. भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 प्रख्यापित किया गया। इससे दूरसंचार सेवाओं के त्वरित विकास के रास्ते में आने वाली अनेक बाधाएं दूर हो सकेंगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और सार्वजनिक एवं निजी ऑपरेटरों के मध्य एक समान आधार बनाया जा सकेगा। इस विधेयक को संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा।

ख. भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर एक ऐसे नए विधान की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और टी.वी. के अभिसरण की घटनाक्रम का उल्लेख हो।

ग. सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के नाम से सड़क निर्माण का एक वृहद कार्यक्रम 54,000 करोड़ रु. की लागत पर पहले ही शुरू कर दिया है जिसमें स्वर्णिम चौमार्गीय और पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण मार्ग भी शामिल हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अति आवश्यक राजमार्ग नेटवर्क का कार्यान्वयन शीघ्र हो।

घ. सरकार पुनर्संरचना और सुधार की इस प्रक्रिया को विद्युत क्षेत्र में कार्यान्वित कर रही है। जल-विद्युत के विकास पर विशेषत: देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में बल दिया गया है। प्रभावी अंतर-प्रादेशिक विद्युत प्रवाहों को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पावर ग्रिड को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

ङ. पेट्रोलियम क्षेत्र में, अन्वेषण की नई लाइसेंस नीति के अंतर्गत 25 प्रखंड दिए गए हैं जो एक रिकॉर्ड है। इसके द्वारा घरेलू अन्वेषण प्रयासों को

त्वरित किया जा रहा है। इंडिया हाइड्रोकार्बन विज़न-2025 संबंधी ग्रुप ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है और सरकार उन्हें कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगी।

च. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें भारतीय कम्पनियों को निजी क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति होगी।

छ. हवाई अड्डों को दीर्घावधिक लीज पर देकर हवाई अड्डा क्षेत्र में निजी भागीदारी को समर्थ करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के मौजूदा हवाई अड्डों को दीर्घावधिक लीज आधार पर दिया जाएगा जबकि बंगलूर* स्थित एक नए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निजी क्षेत्र की भागीदारी से ग्रीनफील्ड वैंचर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे हमारे हवाई अड्डों की आधारभूत संरचना और उनकी कार्य प्रणाली में विश्वस्तरीय सुधार लाने में काफी सहायता मिलेगी।

ज. सरकार ने निजी क्षेत्र की और ज्यादा भागीदारी से अपने बंदरगाहों के कामकाज में व्यापक सुधार लाने तथा अन्य प्रभावी एवं आधुनिक बंदरगाह सुविधाएं विकसित करने के लिए नए कदम उठाने का भी निर्णय लिया है।

झ. ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 लोक सभा के पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया।

ञ. नए सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु उदीयमान उद्यमियों के लिए 100 करोड़ रु. का एक राष्ट्रीय उद्यम पूंजी कोष बनाया गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों द्वारा देश से बाहर विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण की अनुमति देने सबंधी दिशा-निर्देशों को उदार बनाया गया है। देश में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं के विकास को तीव्र करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वारों की स्थापना और ग्रेटर बैंडविड्थ के लिए विदेशी उपग्रहों के इस्तेमाल संबंधी एक उदार नीति बनाई गई है। विशेषकर गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट एवं दूरसंचार सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए और भी उपाय किए जाएंगे।

ट. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और भी उपाय कर रहा है। इन उपायों में: 'भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर ब्रांड इक्विटी निधि' स्थापित करने का प्रस्ताव, लघु एवं मध्यम उद्यमों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए

*अब बेंगलूरू के नाम से जाना जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना, ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भारतीय पहल-कदमियों को बढ़ावा देना एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं व दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों की स्थापना करना शामिल है।

ठ. संसद ने अपने पिछले सत्र में बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित कर दिया था। इससे बीमा क्षेत्र में निजी भारतीय कम्पनियां भी भागीदार बन सकेंगी और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, तीव्र आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक निवेश भी जुटाया जा सकेगा।

ड. सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी पद्धति की समीक्षा करके उसे नया रूप दिया है। इससे ध्यानपूर्वक चयन किए गए कुछेक विषयों को छोड़कर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वत: ही स्वीकृति प्रणाली सुनिश्चित हो सकेगी। इससे अधिक पारदर्शिता आएगी, विलम्ब की संभावनाएं कम हो जाएंगी तथा प्रतिवर्ष, कम से कम 10 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त व्यवस्था तैयार हो जाएगी।

ढ. एक अध्यादेश द्वारा ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। यह वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे ठोस सुधारों में से एक है। इस अध्यादेश के स्थान पर, अधिनियम बनाने संबंधी विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

ण. विभिन्न श्रम कानूनों में परिवर्तन सुझाने के लिए दूसरे श्रम आयोग का गठन किया गया है ताकि श्रम कल्याण, अतिरिक्त रोजगार सृजन, उच्चतर निवेश तथा त्वरित औद्योगिक विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

त. पूरे देश में 1 जनवरी, 2000 से बिक्री कर की समान दर लागू करके कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। ऐसा केन्द्र तथा राज्यों के घनिष्ठ सहयोग से ही संभव हुआ है। करों को और तर्कसंगत बनाने के संबंध में क्रमिक उपाय के रूप में राज्यों ने 1 अप्रैल, 2001 से मूल्यवर्धित कर (वी.ए.टी.) प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है।

थ. संविधि-संग्रह से अनेक पुराने अथवा अनावश्यक कानून और विनियमन हटा दिये गये हैं। यह कार्य विधिक क्षेत्र में तेजी से अति अपेक्षित सुधार करने की दिशा में सरकार के सतत प्रयासों का एक हिस्सा है।

तथापि, बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा गहन चिंता का विषय बना हुआ है। यह, नि:संदेह सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण बृहत आर्थिक प्रबंधन संबंधी समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। घाटे से सरकारी निवेश कम हो जाता है, निजी निवेश में मुश्किलें आने लगती हैं, ब्याज-दरें बढ़ जाती हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बनने लगता है। ब्याज अदायगियों का भार सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से ज्यादा बना हुआ है,

जो केन्द्र सरकार के राजस्व कर में से राज्यों के हिस्से को निकालकर शेष का लगभग दो-तिहाई बैठता है। चूंकि सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज भार बढ़ जाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का विस्तार करने की सरकार की क्षमता सीमित होती जाती है। नॉन-मेरिट वस्तुओं पर सब्सिडी को, जो इस समय बहुत अधिक है, कम करके चरणबद्ध रूप से समाप्त करना होगा। यह, इस समय, सकल घरेलू उत्पाद की 11 प्रतिशत है, जो चौंका देने वाली बात है।

अगर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हुए व मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए भारत को त्वरित विकास करते रहना है, तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना आवश्यक है। हमें गैर-योजना खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए, सरकारी खर्च के स्वरूप, सरकार के आकार को कम करने, माल और सेवाओं की आर्थिक लागत की वसूली और सरकारी खर्च में किफायत बरतने संबंधी कठोर निर्णय लेने होंगे। विनिवेश और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन संबंधी कार्यक्रम में भी तेजी लाने की आवश्यकता है और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सुधार लाने के लिए हमारी कर प्रणाली को नया स्वरूप देना होगा। यदि हम वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त कर लें तो भारत अपनी टिकाऊ मैक्रो फ्रेमवर्क की बुनियाद पर, आने वाले वर्षों में सही मायने में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करने की आशा कर सकता है। यदि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग करने पड़ें तो वे अवश्य करने लायक हैं क्योंकि पुनर्संरचना की दीर्घावधिक उपलब्धियों से सभी भारतवासियों को लाभ होगा और वे इस पर आने वाली अस्थायी लागत से कहीं अधिक होंगे।

राज्यों की वित्तीय स्थिति भी काफी चिंताजनक है। राज्य सरकारों के वित्तीय आंकड़ों से पता चला है कि नब्बे के बाद उनकी वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब हुई। वर्ष 1998-99 के आंकड़ों से पता चला कि राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा बहुत अधिक रहा, जो 75,000 करोड़ रु. से ज्यादा बैठता है और यह सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत तक पहुंचा है। यह वास्तव में असहनीय स्थिति है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में गिरावट की इस प्रवृत्ति को तत्काल बदलने की आवश्यकता है इसलिए केन्द्रीय सरकार ने नीति में सुधार करने के लिए राज्यों के परामर्श से आवश्यक उपाय करने आरम्भ किये हैं। इन उपायों का उद्देश्य राजकोषीय स्थिति का सहीकरण व समेकन तथा उनकी इस स्थिति को दीर्घकालीन रूप से टिकाऊ बनाना है।

सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए वचनबद्ध है। पूर्वोत्तर परिषद् का विस्तार किया जा रहा है ताकि उसमें सिक्किम को शामिल किया जा सके और इन राज्यों के त्वरित विकास के लिए हम इसे एक प्रभावी एजेंसी बनाने का प्रयास करेंगे। पिछले माह शिलांग में हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों और

सिक्किम के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ विकास और सुरक्षा मामलों की समीक्षा की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। उन पूर्वोत्तर राज्यों को, जो उग्रवाद और समाज विरोधी गतिविधियों से प्रभावित हैं, सभी सहायता मुहैया कराई जा रही है।

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 10,200 करोड़ रु. से अधिक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक नए कार्यक्रम शामिल हैं। इससे इस क्षेत्र में आधारभूत व्यवस्था, विशेष रूप से विद्युत, सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों और दूरसंचार के विकास की गति में अधिक वृद्धि आएगी। इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना है। इस क्षेत्र के विकास के लिए पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को भी महत्व देना होगा।

अक्तूबर के अंत में, उड़ीसा में आए भयंकर समुद्री तूफान से हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और राज्य की जनसंख्या के एक बड़े भाग का सामाजिक और आर्थिक जन-जीवन तहस-नहस हो गया। प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए, पूरे देश ने उदारतापूर्वक योगदान दिया। हम सशस्त्र और अर्ध-सैनिक बलों, मौसम-विज्ञान विभाग, रेल, बन्दरगाह प्राधिकारों और अन्य सरकारी विभागों तथा भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ-साथ गैर-सरकारी और धर्मार्थ संगठनों द्वारा भेजे गए राहत दलों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रबंध योजना तैयार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और उन्हें कम करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। यह संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाएगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध हेतु एक व्यापक मॉडल योजना तैयार करेगी।

विश्व परिप्रेक्ष्य में, हम नियमानुसार, गैर-विभेदकारी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना के लिए कार्य करते रहेंगे जो सभी देशों के लिए उपयुक्त और समान हो। 'गैट' और 'विश्व व्यापार संगठन' का संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत ने पिछली सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं और विश्व व्यापार संगठन की तीनों मंत्रिस्तरीय बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत ने व्यापार संबंधों में अधिक समानता और एकरूपता लाने एवं असंगत विषयों को व्यापार से न जोड़ने के अपने मिशन को हमेशा सतत् रूप से आगे बढ़ाया है। यदि गरीबों के हितों की अनदेखी की जाती है तो आर्थिक एकीकरण नहीं किया जा सकता। विकासशील देश होने के नाते भारत इस वास्तविकता से अन्य सदस्य देशों को अवगत करा रहा है। हम उरुग्वे दौर की चर्चाओं में लिए गए निर्णयों के उचित कार्यान्वयन के लिए निरन्तर प्रयास करते रहेंगे।

पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता हथियाने के बाद के महीनों में, पाकिस्तान समर्थित सीमापार आतंकवाद बढ़ा है, जिसका निशाना मुख्य रूप से हमारे सुरक्षा बल हैं। सीमापार से पाकिस्तानी गोलाबारी में भी वृद्धि हुई है। इन गतिविधियों से हमारे सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चौकसी बरते जाने की आवश्यकता और स्पष्ट हो गई है। हालांकि आतंकवादी हमलों का खतरा ऐसा है जिसका असर भारत के सभी नागरिकों पर पड़ता है। हमें, अपने देश के विरुद्ध निरन्तर चल रहे आतंकवादी अभियान को देखते हुए, एकजुट होकर सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग रहना चाहिए। अपनी ओर से, सरकार, देश की बाह्य और आतंरिक सुरक्षा के सभी खतरों के प्रति पूरी तरह सतर्क है। हम अपनी राष्ट्रीय अखण्डता और अपनी खुली, लोकतांत्रिक जीवन-शैली के प्रति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

मैं अपनी सेना के बहादुर जवानों और अफसरों का अभिनन्दन करता हूं, जो अपने परिवारों और प्रियजनों से कहीं दूर करगिल और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर सजग प्रहरी की भांति खड़े हैं। यह हमारी सेनाओं के अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का प्रतीक है कि उन्होंने शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम, जमा देने वाले तापमान को सहन करते हुए बर्फ से ढकी चोटियों पर जोखिम उठाकर पहरा दिया है। ये हमारे जवानों का साहस और कौशल ही है जिसकी वजह से हमारी सीमाएं शत्रु सेनाओं से सुरक्षित हैं।

सरकार द्वारा गठित सुब्रह्मणयम समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति का गठन उन घटनाओं व परिस्थितियों की जांच करने के लिए किया गया था जो करगिल और नियंत्रण रेखा के अन्य हिस्सों में पाकिस्तान की सशस्त्र घुसपैठ की पृष्ठभूमि में थीं। इस रिपोर्ट को इस सत्र के दौरान संसद में रखा जाएगा। सरकार समिति की सिफारिशों की गहराई से जांच करने के बाद सभी आवश्यक अनुवर्ती उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

हमारे सैनिकों का साथ देने में हमारे रक्षा-वैज्ञानिकों और रक्षा उत्पादन की इकाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि जब मैंने पिछली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था, उसके बाद से हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने अपनी उपलब्धियों में दो और प्रमुख सफलताएं हासिल की हैं। कम दूरी पर मार करने वाली, शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने वाली और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल, का सफल परीक्षण किया गया है। रिमोट द्वारा नियंत्रित निशांत का भी सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। हमारी रक्षा उत्पादन इकाइयों ने सिद्ध कर दिया है कि उनमें अत्यन्त जटिल एवं प्रभावी सुरक्षा उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के पहले नौ महीनों में आयुद्धशालाओं में उत्पादन 33 प्रतिशत अधिक हुआ है।

पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियों से प्रभावित कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक

रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाएं सर्वाधिक देखी गई हैं—विशेष रूप से करगिल में पाकिस्तान की हार और इस्लामाबाद में सेना द्वारा सत्ता हथियाने के बाद। केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ने पाकिस्तानी सहायता प्राप्त आतंकवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा खड़ी की गई चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना किया है। हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा का मुकाबला करने के लिए अपनी चहुंमुखी नीति जारी रखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहन बनाना, आर्थिक विकास तेज करना, भाड़े के विदेशी सैनिकों और आतंकवादियों को अलग-थलग करना और उन्हें समाप्त करने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना शामिल है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को सुदृढ़ बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने के अलावा, सरकार राज्य के सुरक्षा संबंधी खर्च की क्षतिपूर्ति कर रही है एवं सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मैं, जम्मू-कश्मीर और देश के कुछ अन्य भागों में आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करने में अपनी सशस्त्र सेनाओं, अर्ध-सैनिक बलों और पुलिसकर्मियों के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूं।

सरकार हमारे देश के पंथनिरपेक्ष लोकाचारों को बनाए रखने तथा उन्हें और सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में, देश में साम्प्रदायिक सद्भावना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले दो वर्ष साम्प्रदायिक हिंसा से प्रायः मुक्त रहे। वर्ष 1999 में, इसमें और कमी आई। परिणामस्वरूप, साम्प्रदायिक घटनाओं में 10 प्रतिशत तक, मृतकों की संख्या में 32 प्रतिशत तक और घायलों की संख्या में 11 प्रतिशत तक की कमी देखने में आई है।

सरकार उत्तरांचल*, वनांचल तथा छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के अपने वचन पर कायम है। इस उद्देश्य के लिए विधेयक संबंधित राज्य विधान सभाओं को उनके विचार जानने के लिए भेजे जा रहे हैं।

अंतर्राज्यीय परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। सरकार, विगत समय में इसके कामकाज के अनुभव के आधार पर, इसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बढ़ाने वाला एक प्रभावी मंच बनाएगी।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। भारत ने अपने दूरवर्ती प्रतिसंवेदी उपग्रहों को अपेक्षित ध्रुवीय सन-सिनक्रोनस कक्षा में स्थापित करने की स्वदेशी क्षमता अर्जित कर ली है। हम अब जियो-सिनक्रोनस उपग्रह छोड़ने वाले यान विकसित करने के पथ पर अग्रसर हैं। इनसेट तंत्र विश्व के सबसे बड़े घरेलू उपग्रह तंत्रों में से एक है तथा इसी शृंखला का अगला उपग्रह, इनसेट-3 बी छोड़े जाने के लिए तैयार है। मार्च-अप्रैल, 2000 में इसको शुरू करने का कार्यक्रम है।

*अब उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है।

सरकार जनकल्याण हेतु शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग की नीति को जारी रखे हुए है। सभी नाभिकीय संयंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तथा उनका औसत क्षमता घटक 75 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। कर्नाटक में कैगा पर स्थित भारत का 11वां नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 21 सितम्बर, 1999 को प्रथम क्रांतिक स्तर पर पहुंच गया जिसे ग्रिड से जोड़ दिया गया है। रावतभाटा, राजस्थान में स्थित 12वां नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर 24 दिसम्बर, 1999 को प्रथम क्रांतिक स्तर पर पहुंच गया है।

सरकार राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए पूर्णत: कृतसंकल्प है। किन्तु गम्भीर चिन्ता का विषय यह है कि पर्याप्त संख्या में युवा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र को जीविका के रूप में नहीं अपना रहे। इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अपने उच्च प्रतिभा सम्पन्न युवाओं के लिए एक आकर्षक कैरियर सुनिश्चित करके हम इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए वचनबद्ध हैं जिससे कि वे भारत में रहकर काम करते हुए विश्वस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कर सकें।

सरकार तीव्र गति से इलैक्ट्रॉनिक शासन पद्धति की ओर अग्रसर होने के लिए भी वचनबद्ध है जिससे नागरिकों व सरकार में बेहतर तालमेल तथा बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सरकार ने भारतीय भाषाओं में जनप्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित व प्रोत्साहित करने के प्रयास सघन कर दिए हैं। ताकि कम्प्यूटरों की उपलब्धता और उनके प्रयोग को बढ़ाया जा सके। मुझे खुशी है कि अनेक राज्य सरकारों ने भी सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के केन्द्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत की गुटनिरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की विदेश नीति आज के बहु-ध्रुवीय विश्व के लिये प्रासंगिक है। यह हमारे अत्यावश्यक हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय आदर्शों को प्रोत्साहित करने वाले सिद्धांतों पर आधारित है। अपने पड़ोसी देशों—नेपाल तथा बंगलादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव तथा भूटान के साथ अपने मित्रतापूर्ण, घनिष्ठ, व्यापक तथा रचनात्मक संबंधों को निरन्तर बढ़ाने व घनिष्ठ करने की अपनी नीति को सरकार जारी रखे हुए है। इन देशों के साथ नियमित विचार-विमर्श से आपसी संबंधों को और मजबूत करने तथा एक-दूसरे के हितों, अतिसंवेदनशील मुद्दों तथा सरोकारों का पारस्परिक मूल्यांकन करने में बल मिला है।

लेकिन, पाकिस्तान ने भारत विरोधी अपने शत्रुतापूर्ण प्रचार तथा सीमा पार से आतंकवाद को उकसाने व उसे सहायता देने की अपनी नीति को समाप्त करने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई है। हाल ही में, काठमांडू से हुए इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका को रेखांकित करता है। सरकार ने इसमें अपहरणकर्ताओं के पाकिस्तानी मूल के होने तथा

काठमांडू में नियुक्त पाकिस्तानी अधिकारियों का हाथ होने के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। हम सचमुच आशा करते हैं कि पाकिस्तान भारत के प्रति शत्रुता की इस नीति को बदलेगा ताकि सामान्य सम्बन्ध पुन: स्थापित हो सकें।

अफगानिस्तान में अमन और चैन की बहाली होना हमारे क्षेत्र में स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। स्वापक-आतंकवाद को रोकने के लिए भी यह आवश्यक है। सबसे बढ़कर, यह अफगानिस्तान की जनता के लिए आवश्यक है, जिनके साथ हमारे वर्षों पुराने संबंध हैं। अफगानिस्तान में शांति की बहाली केवल तभी हो सकती है जब काबुल में व्यापक जनाधार वाली सरकार का गठन हो, जिसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व हो तथा पाकिस्तानी हस्तक्षेप समाप्त हो।

हम मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, खाड़ी के देशों तथा एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के अपने विस्तारित पड़ोस के साथ संबंधों को और घनिष्ठ व व्यापक बनाते रहेंगे। हम अपने एशियाई पड़ोसी चीन के साथ अपने सम्बन्धों की कदर करते हैं। हम चीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस संदर्भ में मैं इस वर्ष मई में होने वाली चीन की अपनी राजकीय यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम आशा करते हैं कि मध्य पूर्व शांन्ति प्रक्रिया से सन्तोषजनक निष्कर्ष निकलेगा। इज़राइल के साथ हमारे संबंध बढ़ते रहेंगे। भारत यूरोपीय संघ के साथ-साथ पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भी अपने मित्रतापूर्ण संबंधों की कदर करता है जिनके साथ पारम्परिक मित्रता के हमारे संबंध हाल के वर्षों में और प्रगाढ़ हुए हैं। हम अफ्रीकी, लेटिन अमरीकी तथा कैरेबियन देशों के साथ अपने मित्रता संबंधों को और सुदृढ़ करेंगे।

भारत, सोवियत संघ के साथ सामरिक भागीदारी में अपने घनिष्ठ और समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों के दृढ़ होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। हम सोवियत संघ के राष्ट्रपति की भारत-यात्रा और दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हाल ही के वर्षों में, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और फ्रांस के साथ हमारे संबंधों में संतोषजनक सुदृढ़ता आई है। उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप, फ्रांस के साथ सामरिक महत्व की चर्चा आरम्भ हुई है जिसके उत्साहप्रद परिणाम सामने आए हैं। इंडो-फ्रेंच फोरम ने भी संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्रों में फ्रांस के साथ हमारे संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया है। इस वर्ष अप्रैल में होने वाली फ्रांस की अपनी राजकीय यात्रा की मुझे उत्सुकता से प्रतीक्षा है।

सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु अस्त्रों की एक विश्वसनीय व न्यूनतम मात्रा को बनाए रखते हुए भारत से संबद्ध सुरक्षा, परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर अमरीका से गम्भीर वार्तालाप जारी रखा है। इस बातचीत का एक महत्वपूर्ण परिणाम संयुक्त कार्य दल की स्थापना का निर्णय है जो सीमापार से होने

वाले आतंकवाद से निपटेगा। यह आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। हमें आशा है कि अगले महीने राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत-यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक विस्तृत आधार प्रदान करेगी और उनके बहुआयामी विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी।

भारत एक व्यापक एवं भेदभाव रहित आधार पर समयबद्ध तरीके से नाभिकीय हथियारों से मुक्त विश्व के लिए अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराता है। बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण के लिए पहल-कदमी करते हुए संधियां निष्पादित करते समय, सरकार भारत की सामरिक स्वायत्तता अक्षुण्ण रखने की अनिवार्यता का पालन करती रहेगी।

भूमंडलीय सुरक्षा के लिए बढ़ते हुए गैर-परम्परागत खतरों, विशेषतया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण बढ़ती चुनौतियों के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि इनसे प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक समझौते को शीघ्र स्वीकार करने एवं उसे अमल में लाने का आह्वान करते हैं। भारत, मानवता के विरुद्ध इस अपराध से लड़ने के किसी भी भूमंडलीय प्रयास में योगदान करेगा।

उच्च वृद्धि दर की प्राप्ति के संबंध में हमारी सोच केवल अमीर या मध्यवर्ग को लाभ पहुंचाने पर ही केन्द्रित नहीं है, बल्कि निर्धन वर्ग ही हमारे सभी विकास संबंधी प्रयासों का केन्द्र बिन्दु है। हमें यह मानना पड़ेगा कि हम अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर प्राप्त किए बिना, आम आदमी की हालत में सुधार नहीं ला सकते। अर्थव्यवस्था के विस्तार से ही रोजगार के बढ़ते अवसर और सभी के लिए बढ़ती आय सुनिश्चित हो सकती है। जब तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत की त्वरित दर से नहीं बढ़ता है, तब तक गरीबी और पिछड़ेपन से छुटकारा मिलने की कोई संभावना नहीं है। उच्च वृद्धि दर प्राप्त करके ही हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई और सड़कों जैसे सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिकाधिक संसाधन जुटा सकते हैं, विशेष तौर पर गांव और शहरी गंदी बस्ती के निवासियों के लिए। इस उद्देश्य के लिए, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख मेरे पिछले संबोधन में रेखांकित सामाजिक एवं आर्थिक एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

माननीय सदस्यगण, संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में वैधानिक कार्य के निष्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के बाद, आज हम बजट सत्र प्रारम्भ करते हैं। आम बजट एवं रेल बजट से संबंधित वित्तीय कार्य और दो अध्यादेशों को विधेयक बनाने की वैधानिक आवश्यकता के अलावा, हमारी अर्थव्यवस्था व समाज के सर्वांगीण विकास से संबंधित विधायी कार्य का एक व्यापक एजेंडा हमारे समक्ष है। सरकार इस एजेंडा को इसी सत्र में पूर्ण करने के लिए तत्पर है।

आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द।